Section 27 : Special provisions relating to casual taxable person and non-resident taxable person.

(1) The certificate of registration issued to a casual taxable person or a non-resident taxable person shall be valid for the period specified in the application for registration or ninety days from the effective date of registration, whichever is earlier and such person shall make taxable supplies only after the issuance of the certificate of registration:

Provided that the proper officer may, on sufficient cause being shown by the said taxable person, extend the said period of ninety days by a further period not exceeding ninety days.

(2) A casual taxable person or a non-resident taxable person shall, at the time of submission of application for registration under sub-section (1) of section 25, make an advance deposit of tax in an amount equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the registration is sought:

Provided that where any extension of time is sought under sub-section (1), such taxable person shall deposit an additional amount of tax equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the extension is sought.

(3) The amount deposited under sub-section (2) shall be credited to the electronic cash ledger of such person and shall be utilised in the manner provided under section 49.

धारा 27 : आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट उपबंध

(1) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य होगा और ऐसा व्यक्ति केवल रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् कराधेय पूर्तियां करेगा :

परन्तु उचित अधिकारी, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाने वाले पर्याप्त कारणों से उक्त नब्बे दिन की अवधि को नब्बे दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(2) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, ऐसी अवधि, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण की वांछा की गई है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य रकम में कर का अग्रिम जमा करेगा :

परन्तु जहां उपधारा (1) के अधीन समय के विस्तारण की वांछा की गई है, वहां ऐसा कराधेय व्यक्ति, ऐसी अवधि, जिसके लिए विस्तारण की वांछा की गई है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त रकम को जमा करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जमा की गई रकम, ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में जमा की जाएगी और उसका उपयोग धारा 49 के अधीन उपबंधित रीति में किया जाएगा।